भारत सरकार, रा.सू.वि.कें., स.का.आ.प्र., पोर्ट ब्लेयर
दिनांक /Dt 31/08/19
संख्या /No 632
GOI.NIC.GPOA.P.BLAIR

PRESS NOTE

Sub:-Invites Online Application for Allotment of Govt. Accommodation under General Pool - regarding

The Housing & Estate Section, A&N Administration, Secretariat **Invites Online Applications** for allotment of Govt. Accommodation under General Pool from Govt. employees of various Departments of A&N Administration w.e.f **01/09/2019 - 30/09/2019** for the session 2019-2020.

The Govt. servants whose name enlisted in the existing seniority list for the session 2018-2019 and not allotted Govt accommodation till date are requested to apply fresh for the session 2019-2020.

As per rule-5 of Allotment of Govt. Accommodation of A&N Administrative Residences (General Pool) Rules, 1991, allotment to such regular Govt. servants of the Administration will be made on the basis of seniority as determined from the date of their entry into Govt. service under the A&N Administration. Ad-hoc employees are not eligible for allotment of Govt. residential accommodation under General Pool and as such their applications will not be entertained.

Applications from the Govt. servants (as fresh appointment / on transfer from out station/ on deputation) and out of turn allotment on medical ground shall be received throughout the year through online and their placement in the seniority list shall be made accordingly. The allottee/occupant who desired to change their present quarter to similar type/higher type shall also register their application on Online Portal through their DDOs.

The allottee/occupant who desired to change their present quarter to similar type/higher type shall also register their application on Online Portal through their DDOs.

Note:

i) The applicants who applied for allotment of Govt quarters on seniority basis should submit hard copy of application alongwith copy of initial appointment order/transfer order from out station to Assistant Secretary (H&E) for verification.

ii) The applicants who apply for change of qtr for similar type must submit hard copy of application alongwith copy of allotment order and occupation report to the Assistant Secretary (H&E).

iii) The applicant those who applied for out of turn allotment on medical ground should submit hard copy of application alongwith latest medical certificate to the undersigned.

iv) Online applications forms are available in the portal www.and.nic.in/online allotment and registration will open from 01/09/2019 to 30/09/2019.

v) The applicants/DDOs should register online application form very carefully as no alternation/modification will be allowed under any circumstances once submitted.

vi) The applicant should also upload their recent Passport size photograph on the space indicated in the application form.

vii) The applicant/DDO should provide all the mandatory details in the Online Portal failing which the application will not be accepted by the website.

viii) The website will also allow the applicant to take printout of the submitted application. Thereafter put his/her signature by giving declaration provided in the application which should be approved by HOD/DDO for submission to Assistant Secretary (H&E).

F.No. 1-167/2015/H&E
अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
Andaman & Nicobar Administration
सचिवालय / Secretariat

Port Blair, dated the 20th August 2019

Copy forwarded to:-

1. The Director (IP&T), A & N Administration, Port Blair for information and necessary action.
2. The Manager, Govt. Press, Port Blair with the request to publish the above 'Press Note" in the 'Daily Telegrams" and "Dweep Samachar" for two consecutive days on 23/08/2019 and 24/08/2019 positively.
3. The Chief Editor, the 'Daily Telegrams' and 'Dweep Samachar' Govt. Press , Port Blair with the request to publish the above 'Press Note' in the 'Daily Telegrams' for two consecutive days on 23/08/2019 and 24/08/2019 positively
4. The Station Manager, All India Radio, Port Blair with the request to include the above matter in your news bulletin "Pradeshik Samachar".
5. The Director, Doordarsan Kendra, Port Blair for information and necessary action.
6. The State Informatics Officer, NIC, Andaman State Unit, Ranchi Basti, Port Blair for information.

Assistant Secretary (H&E)

प्रेस नोट

विषयः सामान्य पुल के तहत् सरकारी आवास के आबंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

आवास एवं सम्पदा अनुभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सचिवालय वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक 01/09/2019 से 30/09/2019 तक अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों से सामान्य पुल के तहत् सरकारी आवास के आबंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं।

सरकारी कर्मचारी जिनका नाम वर्ष 2018–19 के वरियता सूची में शामिल है और जिन्हें उनके एनटाइटल्मेंटे के अनुसार सरकारी आवास आबंटित नहीं हुई है, उनसे अनुरोध है कि वे 2019–20 के लिए नए सिरे से आवेदन करें।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासनिक निवास (सामान्य पुल) नियमावली,1991 के नियम–5 के अनुसार प्रशासन के नियमित सरकारी कर्मचारी को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के तहत सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से उनकी वरियता निर्धारित होने के आधार पर आवास आबंटित किए जाएंगे। तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी सामान्य पुल के तहत सरकारी आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे और उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में नई नियुक्ति हुई है, जो बाहरी द्वीपों से स्थानतंरण पर आए हैं तथा चिकित्सा आधार पर बिनबारी आबंटन के लिए आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन पूरे वर्ष ऑनलाईन सिस्टम के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और इसी आधार पर वरियता सूची में उनका स्थान तय किया जाएगा।

ऐसे आबंटिती/अधिभोगी जो अपने मौजूदा आवास को सामान टाइप/उच्च टाइप के आवास से बदलना चाहते हैं वे अपने संबंधित डी डी ओ के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में अपने आवेदन पंजीकृत करा सकते हैं।

<u>नोटः</u>

i). जिन आवेदकों ने वरिष्ठता सूची के आधार पर सरकारी आवास के आबंटन हेतु आवेदन किया है, उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति आदेश/बाहरी द्वीपों से आए स्थानंतरण आदेश की प्रति के साथ आवेदन की एक प्रति जाँच हेतु सहायक सचिव (आ एवं सं) को जमा करनी होगी।

ii). जिन आवेदकों ने आवास बदलने के लिए आवेदन दिया हो उन्हें आवेदन की प्रति के साथ आबंटन आदेश तथा अधिभोग रिपोर्ट सहायक सचिव (आ एवं सं) को जमा करना होगा।

iii). जिन आवेदकों ने चिकित्सा आधार पर बिन–बारी आबंटन के लिए आवेदन दिए हैं उन्हें नवीनतम चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन की प्रति अद्योहस्ताक्षरी को जमा करना होगा।

iv). आवेदन प्रपत्र पोर्टल www.and.nic.in/online allotment पर उपलब्ध है तथा पंजीकरण दिनांक 01.09.2019 से 30.09.2019 तक होगा।

v). आवेदक/डी डी ओ को बहुत ही सावधानी पूर्वक ऑनलाईन पंजीकरण करना होगा क्योंकि एक बार जमा किए जाने के बाद किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/आशोधन नहीं किया जा सकेगा।

vi). आवेदक को आवेदन प्रपत्र में बताए गए स्थान पर अद्यतन पासपोर्ट आकार के फोटो अपलोड करने होंगे।

vii). आवेदक/डी डी ओ को ऑनलाईन पोर्टल में सभी आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराना होगा अन्यथा वेबसाईट द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

viii). वेबसाइट द्वारा जमा किए गए आवेदन के प्रींटआउट लेने की अनुमति होगी । उसके पश्चात् आवेदन में उपलब्ध घोषणा पत्र में अपना हस्ताक्षर कर आवेदन को विभागाध्यक्ष/डी.डी.ओ की अनुमति से सहायक सचिव (आ एवं सं) को भिजवाना होगा।

अन्नम्मा जेवियर
20/8/19
सहायक सचिव (आ एवं सं)

सं.1-167/2015/आ एवं सं.
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

*****

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 20 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रसरित:-

1. निदेशक (सूचना, प्रचार एवं पर्यटन), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. प्रबंधक, सरकारी प्रेस, पोर्ट ब्लेयर को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त प्रेस नोट को डेली टेलीग्राम्स तथा द्वीप समाचार के दिनांक 23.08.2019 तथा 24.08.2019 के अंक में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करें।
3. मुख्य संपादक, डेली टेलीग्राम्स तथा द्वीप समाचार, सरकारी प्रेस, पोर्ट ब्लेयर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त प्रेस नोट को डेली टेलीग्राम्स तथा द्वीप समाचार के दिनांक 23.08.2019 तथा 24.08.2019 के अंक में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करें।
4. स्टेशन मैनेजर, आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विषय को अपने समाचार बुलेटिन के 'प्रादेशिक समाचार' में शामिल करने की कृपा करें।
5. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, एन आई सी, अण्डमान राज्य इकाई, रांची बस्ती, पोर्ट ब्लेयर को सूचनार्थ।

अन्नम्मा जोविएर
20/8/19
सहायक सचिव (आ एवं सं)